

प्रकरण संख्या :- 103/2023

दायर दिनांक :- 24.07.2023

निर्णय दिनांक :- 8.9.2025

अनवान

1. गोर्धनलाल पिता भैरूलाल रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1. डालचन्द पिता शंकरलाल रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. भगवतीलाल पिता शंकरलाल रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद ।
3. मदनलाल पिता शंकरलाल रेगर निवासी गिलुण्डतहसील रेलमगरा जिला राजसमंद ।
4. लहरी बाई पत्नि स्व. शंकरलाल रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद । प्रति.सं.01 से लगायत 04 का द्वितीय पता कैलाश किराणा स्टोर के पीछे बाला कुण्ड केसरपुरा कोटा
5. दुर्गा पुत्री शंकरलाल पत्नि राजकुमार रेगर निवासी गिलुण्ड हाल रामदेव मंदिर के पीछे रेगर मो0 सुरजपोल उदयपुर
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

अधिवक्ता वादीगण की ओर से - श्री प्रकाश चन्द्र खटीक, अधिवक्ता
अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से -

दिनांक ..8..9..2025

वाद बाबत विभाजन
निर्णय

प्रकरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गिलुण्ड पटवार हल्का गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद की आराजी नम्बर 3025, 3026, 3108 कुल किता 03 कुल रकबा 0.4532 हैक्टेयर भूमि वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 1 से लगायत 05 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिससे वादीया का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 का 1/10 - 1/10 हिस्सा, जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर अधिवक्ता उभय पक्ष ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-



सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	1. गोर्धनलाल पुत्र भेरूलाल रेगर सा. देह खातेदार	3108/1	0.1569	1.85
	योग	किता- 1	0.1569	1.85
2	1. डालचन्द्र पुत्र शंकरलाल 1/5 2. दुर्गा पुत्री शंकरलाल 1/5 3. भगवतीलाल पुत्र शंकरलाल 1/5 4. मदनलाल पुत्र शंकरलाल 1/5 5. लहरी बाई पत्नि स्व. शंकरलाल 1/5 रेगर सा. देह खातेदार	3108/2	0.1569	1.85
	योग	किता- 1	0.1569	1.85
3	1. गोर्धनलाल पुत्र भेरूलाल 1/2 2. डालचन्द्र पुत्र शंकरलाल 1/10 3. दुर्गा पुत्री शंकरलाल 1/10 4. भगवतीलाल पुत्र शंकरलाल 1/10 5. मदनलाल पुत्र शंकरलाल 1/10 6. लहरी बाई पत्नि शंकरलाल 1/10 रेगर सा. देह खातेदार	3025 3026 3108/3	0.0405 0.0890 0.0099	1.75 3.85 0.10
	योग	किता- 3	0.1394	5.70

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 8.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी,
रेलमगरा

मूलवाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार न्योल, आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या :-103 / 2023

अनवान

1. गोर्धनलाल पिता भैरूलाल रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द

वादीया

बनाम

1. डालचन्द पिता शंकरलाल रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द

2. भगवतीलाल पिता शंकरलाल रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द ।

3. मदनलाल पिता शंकरलाल रेगर निवासी गिलुण्डतहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द ।

4. लहरी बाई पत्नि स्व. शंकरलाल रेगर निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द । प्रति.सं.01 से लगायत 04 का द्वितीय पता कैलाश किराणा स्टोर के
पीछे बाला कुण्ड केसरपुरा कोटा

5. दुर्गा पुत्री शंकरलाल पत्नि राजकुमार रेगर निवासी गिलुण्ड हाल रामदेव मंदिर के
पीछे रेगर मो0 सुरजपोल उदयपुर


6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

अधिवक्ता वादीगण की ओर से - श्री प्रकाश चन्द्र खटीक, अधिवक्ता
अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से -

में इस आशय में दिनांक 8.9.2025 को न्यायालय के समक्ष
अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती
है कि राजस्व ग्राम कोटडी पटवार हल्का कोटडी तहसील रेलमगरा जिला
राजसमन्द की आराजी नम्बर 3025, 3026, 3108 कुल किता 03 कुल रकबा 0.
4532 हैक्टेयर भूमि वादीया एवं प्रतिवादीया संख्या 1 से लगायत 05 के संयुक्त
खातेदारी की भूमि है जिससे वादीया का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01
से लगायत 05 का 1/10 - 1/10 हिस्सा, है। जिस पर तहसीलदार
रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया
जिस पर अधिवक्ता उभय पक्ष ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः
वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य
निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-


सहायक कलक्टर
(अधिकारी)

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	1.गोर्धनलाल पुत्र भेरूलाल रेगर सा. देह खातेदार	3108/1	0.1569	1.85
	योग	किता- 1	0.1569	1.85
2	1. डालचन्द पुत्र शंकरलाल 1/5 2. दुर्गा पुत्री शंकरलाल 1/5 3. भगवतीलाल पुत्र शंकरलाल 1/5 4. मदनलाल पुत्र शंकरलाल 1/5 5. लहरी बाई पत्नि स्व. शंकरलाल 1/5 रेगर सा. देह खातेदार	3108/2	0.1569	1.85
	योग	किता- 1	0.1569	1.85
3	1. गोर्धनलाल पुत्र भेरूलाल 1/2 2. डालचन्द्र पुत्र शंकरलाल 1/10 3. दुर्गा पुत्री शंकरलाल 1/10 4. भगवतीलाल पुत्र शंकरलाल 1/10 5. मदनलाल पुत्र शंकरलाल 1/10 6. लहरी बाई पत्नि स्व. शंकरलाल 1/10 रेगर सा. देह खातेदार	3025 3026 3108/3	0.0405 0.0890 0.0099	1.75 3.85 0.10
	योग	किता- 3	0.1394	5.70

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 8.9.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।



(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी,
रेलमगरा)